राष्ट्रीय संस्करण

विनेश फोगाट ने पक्का किया ओलंपिक का टिकट >> 14

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 101

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 19 सितंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सरोकार

महिला प्रधान ने बिना कागज लिख डाली गांव की तकदीर

लखनऊ : दशहरी आम के लिए मशहूर मलिहाबाद तहसील की लतीफपुर ग्राम पंचायत डिजिटल इंडिया के सपने को हकीकत में साकार कर रही है। इसका श्रेय जाता है इंजीनियरिंग कर चुकीं युवा प्रधान श्वेता सिंह को। सरकार ने उनके काम को सराहते हुए लक्ष्मीबाई अवार्ड से नवाजा है (पेज-10)

जागरण विशेष

बंदियों के खाने की जानकारी नहीं देना चाहती पंजाब पुलिस

लुधियाना : पंजाब में हवालात में बंद लोगों के भोजन की व्यवस्था क्या है, पुलिस इसकी जानकारी नहीं देना चाहती है। दरअसल, इसकी रकम इतनी कम है कि ज्यादातर अधिकारी इसका भुगतान ही नहीं लेते हैं। ध्यान रहे कि देश आजाद होने के बाद महज एक बार इस मद में वृद्धि की गई है। (पेज-10)

अयोध्या मामले में 18 अक्टूबर तक पूरी हो बहस

बड़ा कदम ▶ सर्वोच्च न्यायालय ने तय की समयसीमा, 17 नवंबर से पहले फैसला आने की उम्मीद

17 नवंबर को ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई

माला दीक्षित, नई दिल्ली

एक माह के अंदर अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में मालिकाना हक पर सुनवाई पूरी हो जाएगी। कोर्ट ने सभी पक्षकारों से 18 अक्टूबर तक बहस पूरी करने को कहा है। इससे नवंबर के मध्य तक फैसला आने की उम्मीद बंधी है क्योंकि मामले की सुनवाई कर रही संविधान पीठ के अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कोर्ट ने पक्षकारों को मध्यस्थता के प्रयास जारी रखने की छूट दे दी, लेकिन साफ किया कि मामले की कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी।

मंगलवार को कोर्ट ने पक्षकारों से बहस पूरी करने का टाइम शेड्यूल मांगा था ताकि कोर्ट को पता चल सके कि उसके पास फैसला लिखने के लिए कितना समय है। बुधवार को जैसे ही अदालत बैठी प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन से पूछा कि आप कब तक बहस पूरी कर लेंगे। धवन ने कहा, अगले हफ्ते तक पूरी कर लेंगे। फिर हिंदू पक्ष जवाब देगा। इसके बाद वह फिर दो दिन बहस करेंगे और फिर हिंदू पक्ष जवाब देगा। तभी गोगोई ने कहा कि सभी पक्षकार 18 अक्टूबर तक बहस पूरी कर लें। इसके लिए सभी मिलजुल कर प्रयास करें। 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी होने का मतलब है कि कोर्ट के पास फैसला लिखने के लिए लगभग एक माह का समय बचेगा। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि

- सुनवाई रोजाना एक घंटा बढ़ाने या शनिवार को भी जारी रखने की गुंजाइश
- मध्यस्थता जारी रखने की दी छूट, लेकिन चलती रहेगी सुनवाई

अगर जरूरत हुई तो वह सुनवाई का समय एक घंटा रोजाना बढ़ा सकते हैं या शनिवार को भी सुनवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा, कुछ समय उन मुद्दों पर सुनवाई के लिए रखना होगा जिन्हें किसी भी पक्ष ने अभी तक नहीं छुआ है। हालांकि कोर्ट ने धवन को शुक्रवार को आधे दिन की बहस से राहत दे दी। ज्ञात हो, इस मामले में छह अगस्त से रोजाना सुनवाई शुरू हुई थी। 26 दिन हो चुके हैं। इनमें हिंदू पक्ष ने 16 और मुस्लिम पक्ष ने 10 दिन बहस की है।।

गोपनीय रहेगी मध्यस्थता प्रक्रिया : कोर्ट ने कहा कि मामले में चल रही सुनवाई काफी आगे बढ़ चुकी है और वो बिना बाधा के जारी रहेगी। इस बीच अगर पक्षकार मामले को मध्यस्थता के जरिये सुलझाना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं। वे जस्टिस एफएमआइ कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाली मध्यस्थता समिति की भी मदद ले सकते हैं। अगर समझौता होता है तो उसे कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने साफ किया कि मध्यस्थता में आठ मार्च के आदेश में तय शर्तें लागू होंगी यानी मध्यस्थता प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय रहेगी। मालूम हो कि मध्यस्थता नाकाम रहने के बाद ही मामले की सुनवाई शुरू की गई थी, लेकिन दो दिन पहले मुकदमे में पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्वाणी अखाड़ा ने मध्यस्थता समिति को पत्र लिखकर फिर से मध्यस्थता शुरू करने का अनुरोध किया था।

सुनवाई के सीधे प्रसारण के लिए सेक्रेटरी जनरल को पत्र : आरएसएस विचारक केएन गोविंदाचार्य ने सुनवाई का शेड्यूल तय होने के बाद कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को पत्र लिखकर लाइव प्रसारण के बारे में जल्द कोर्ट को रिपोर्ट देने का अनुरोध किया। 16 सितंबर को कोर्ट ने रजिस्ट्री से पूछा था कि वह बताए कब तक सुनवाई के लाइव प्रसारण की व्यवस्था हो सकती है।

रेलिंग के अंदर झांक कर दर्शन हिंदुओं की आस्था दर्शाता है : सुप्रीम कोर्ट पेज>>3

कन्हैया कुमार पर केस चलाना है या नहीं तय करे केजरीवाल सरकार : कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने अरविंद केजरीवाल सरकार से कहा है कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाना है या नहीं। इस बारे में एक माह के भीतर फैसला करें।

चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना ने बुधवार को कहा, निर्णय लेने में हो रही देरी के कारण अदालत का समय खराब हो रहा है। केस पर हर बार सुनवाई टल रही है। बुधवार को इस मसले पर दिल्ली पुलिस ने बताया कि मुकदमा चलाने की मंजूरी से संबंधित फाइल सरकार के गृह विभाग के पास विचाराधीन है। पुलिस के इस जवाब के बाद अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा, दिल्ली सरकार एक माह में निर्णय ले, ताकि केस की कार्यवाही पूरी की जा सके। इस मामले पर अगली सुनवाई 25 अक्टूबर के लिए तय की गई है। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू देशद्रोह प्रकरण में गत 14 जनवरी को आरोपपत्र दायर किया था, जिसमें कन्हैया कुमार सहित अन्य छात्रों को आरोपित बनाया गया था।

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

मोदी से मिलीं ममता, सूबे का नाम बांग्ला करने पर मांगी मदद

नई दिल्ली : सियासी तनातनी को पीछे छोड़ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। उन्होंने पीएम से सूबे का नाम बदलकर 'बांग्ला' करने पर उनका समर्थन मांगा। साथ ही मोदी को दुर्गापूजा के बाद पश्चिम बंगाल आने का न्योता भी दिया।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

छात्रा बोली, चिन्मयानंद को पकड़ो वर्ना कर लूंगी आत्मदाह

शाहजहांपुर : पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद की जल्द गिरफ्तारी न होने पर छात्रा ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। छात्रा ने 16 सितंबर को कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। उसके बाद चिन्मयानंद की गिरफ्तारी की उम्मीद थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होते देख छात्रा व उसके परिवार का धैर्य टूटने लगा है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

टीवी के ओपन सेल पैनल से कस्टम ड्यूटी खत्म

नई दिल्ली : सरकार ने टीवी मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ओपन सेल पैनल से पांच परसेंट की कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया है। सरकार ने ओपन सेल मैन्यूफैक्चरिंग में काम आने वाले चिप, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली और सेल से भी ड्यूटी हटा ली है। इससे टीवी के घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग की लागत में कमी आएगी जिससे बाजार में टीवी के दाम घटने की उम्मीद बनेगी।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

हिंदू छात्रा की हत्या के बाद कराची में विरोध प्रदर्शन

कराची : पाकिस्तान के सिंध प्रांत स्थित डेंटल कॉलेज में पढ़ने वाली हिंदू छात्रा नमृता चांदनी की हत्या को लेकर कराची में लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इमरान सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए लोगों ने मृतका के लिए न्याय और क्षेत्र में बेहतर कानून व्यवस्था व अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की। लोग 'नमृता को इंसाफ दो' और 'गुंडागर्दी नहीं सही जाएगी' जैसे नारे लगा रहे थे।

पूरे देश में लागू करेंगे एनआरसी : शाह

मजबूत इरादा ▶ रांची में केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, देश से सभी घुसपैठिए भगाए जाएंगे

कहा, अनुच्छेद 370 हटाकर दुनिया को बता दिया कश्मीर हमारा है

जागरण संवाददाता, रांची

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पूरे देश में एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स) लागू होगा। एक भी घुसपैठिया भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम के रूप में देश के लोगों ने एनआरसी को सहमति दे दी है। हमने भी अपने संकल्प पत्र में वादा किया था, केवल असम ही नहीं, पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है, जहां कोई भी अवैध रूप से बस जाए, तो फिर भारत में कोई अवैध रूप से कैसे रह सकता है। देश में रहने वालों का एक रजिस्टर जरूरी है, ताकि घुसपैठियों की पहचान हो और उन्हें देश से बाहर किया जा सके।

शाह ने झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित कार्यक्रम में उक्त उद्गार व्यक्त किए। शाह ने यह भी कहा, उन्होंने कभी भी पूरे देश में हिंदी लागू करने की वकालत नहीं की। बल्कि देश के हर हिस्से में हिंदी को द्वितीय भारतीय भाषा के रूप में अनिवार्य करने की बात कही है। शाह ने बुधवार को जामताड़ा में भी कार्यक्रमों को संबोधित किया।

झारखंड के जामताड़ा में बुधवार को जन आशीर्वाद यात्रा के शुभारंभ अवसर पर रैली को संबोधित करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रेट्र

कश्मीर हमारा है : जामताड़ा में जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के शुभारंभ के बाद रैली में शाह ने कहा- अनुच्छेद 370 को हटाकर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान और दुनिया को बता दिया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। सरकार के फैसले का पूरे देश ने स्वागत किया। राजनीतिक स्वार्थ से कुछ लोग इसका भी विरोध करते हैं।

कांग्रेस को दी नसीहत : शाह ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करे। इंदिरा गांधी के समय बांग्लादेश अलग हुआ तब भाजपा ने देशहित में इंदिरा का साथ दिया था। जब नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएनओ में कश्मीर को लेकर भारत का पक्ष रखा था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, राष्ट्रहित के मुद्दों पर सरकार के फैसलों का विरोध करना ओछी राजनीति है। राष्ट्र को गौरव का अहसास कराने वाले सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के फैसलों का कांग्रेस ने विरोध किया। राहुल गांधी स्पष्ट करें कि वह देशहित के इन फैसलों के साथ हैं या विरोध में।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा मंजूर : राममंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट की कही बात को स्वागतयोग्य बताते हुए कहा, कोर्ट किसी के चाहने या न चाहने से नहीं चलता है। लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस के अनुरोध पर कोर्ट ने इस मामले को कुछ समय के लिए टाल दिया था, अब इस मुद्दे पर जल्द फैसला देने की बात कही है। फैसला किसी को अच्छा लगेगा और किसी को बुरा, लेकिन यह कोर्ट का फैसला होगा।

मोदी ने झारखंड को संवारा : शाह ने कहा, झारखंड अलग राज्य की मांग कांग्रेस ने कभी पूरी नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे अलग राज्य बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड को संवारा। पहले झारखंड नक्सलवाद से ग्रसित था और आज यह राज्य नक्सलवाद से मुक्त होने की दहलीज पर है। झारखंड में रघुवर दास के नेतृत्व पर मुहर लगाते हुए कहा कि राज्य का विकास हो रहा है।

देश की क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हो

हिंदी के देशभर में इस्तेमाल के संबंध में दिए गए बयान पर शाह ने अपनी बात रखी। कहा कि उन्होंने कभी भी देश के हर हिस्से में हिंदी की अनिवार्यता या बाध्यता के लिए दबाव डालने की वकालत नहीं की है, बल्कि देश के हर हिस्से में इसे द्वितीय भारतीय भाषा के रूप में अनिवार्य करने की बात कही है। देश की अखंडता और एकरूपता के लिए यह जरूरी है। वह यह चाहते हैं कि देश की क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हो और उनका फैलाव हो, लेकिन पूरे देश को जोड़ने वाली एक भाषा के रूप में हिंदी का समग्र बहाव होना जरूरी है।

दिया अपना उदाहरण : चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि वह खुद भी एक गैर हिंदीभाषी राज्य (गुजरात) से आते हैं, जहां गुजराती बोली जाती है, लेकिन जब सवाल देश का हो तो पूरे देश को ध्यान में रखकर काम किया जाना चाहिए।

ई-सिगरेट व ई-हुक्का पर लगा प्रतिबंध

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने ई-सिगरेट और ई-हुक्का पर रोक लगाने के लिए बुधवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दी, जिसके तहत देश में ई-सिगरेट के उत्पादन, आयात, निर्यात, ढुलाई, बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। प्रावधानों के उल्लंघन पर पांच साल की सजा और तीन लाख रुपये जुर्माना भरना होगा। अध्यादेश लागू होने के बाद ई-सिगरेट का स्टॉक खुद से घोषित करते हुए नजदीकी थाने में जमा कराना होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी गई। हालांकि बाहर होने की वजह से स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बैठक में शामिल नहीं हुए। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रस्तावित अध्यादेश के तहत पहली बार कानून का उल्लंघन करने वालों को एक साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा। दूसरी बार उल्लंघन करने पर तीन साल जेल और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति ई-सिगरेट का भंडारण करता है, तो उसे छह माह की सजा और 50 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। ई-सिगरेट को तकनीकी तौर पर ईएनडीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम कहा जाता है। सरकार ने ई-सिगरेट के मुद्दे पर विचार करने के लिए सीतारमण की अध्यक्षता में मंत्रि समूह बनाया था। इसके बाद ही सरकार ने अध्यादेश जारी करने का कदम उठाया है।

सीतारमण ने कहा, ई-सिगरेट जैसे उत्पाद स्वास्थ्य के लिए खासकर युवाओं के लिए खतरनाक हैं, इसलिए सरकार ने इन पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। उन्होंने अमेरिका में किए गए अध्ययनों के आधार पर आंकड़े देते हुए कहा, स्कूली छात्रों में ई-सिगरेट के इस्तेमाल में 77.8 और मिडिल स्कूल के छात्रों में इसके इस्तेमाल में 48.5 फीसद की वृद्धि हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका में 30 लाख लोग नियमित रूप से ई-सिगरेट का सेवन कर रहे हैं। 2011 से 2015-16 के दौरान अमेरिका में ई-सिगरेट की खपत में 900 फीसद की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में ई-सिगरेट को पहले धूमपान छोड़ने में मदद करने वाली डिवाइस के रूप में पेश किया गया, अब ये स्टाइल स्टेटमेंट के तौर पर उभर रहे हैं। इनका सेवन करने वाले धूमपान नहीं छोड़ रहे हैं। हकीकत यह है कि कुछ लोग इनके सेवन के आदी हो गए हैं।

वित्त मंत्री ने कहा, ई-सिगरेट के करीब 400 ब्रांड और 150 से ज्यादा फ्लेवर हैं। हालांकि भारत में किसी भी ब्रांड की ई-सिगरेट का उत्पादन नहीं होता। ई-सिगरेट के धुएं में निकोटिन की बड़ी मात्रा होती है जो धूमपान करने वाले के पास मौजूद लोगों को भी बुरी तरह प्रभावित करती है। कई पश्चिमी देशों में ई-सिगरेट के दुष्प्रभाव सामने आ चुके हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि ई-सिगरेट से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव की अब तक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन कैबिनेट ने यह सुनिश्चित किया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य को कोई खतरा न हो।

कैबिनेट के फैसले

- प्रावधानों के उल्लंघन पर पांच साल की सजा और तीन लाख जुर्माना
- अध्यादेश लागू होने के बाद मौजूदा स्टॉक को थानों में जमा कराना होगा

नई दिल्ली में बुधवार को मीडिया को फैसले की जानकारी देतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रेट्र

रेलकर्मियों को फिर मिलेगा 78 दिनों का बोनस

सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस के भुगतान को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में हुए इस फैसले से सरकारी खजाने पर 2024.40 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इस निर्णय से 11,52,308 अराजपत्रित रेल कर्मचारी (आरपीएफ/आरपीएसएफ कार्मिकों को छोड़कर) लाभान्वित होंगे। फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा, सरकार गत छह वर्षों से अराजपत्रित रेलकर्मियों को 78 दिनों के बराबर बोनस का भुगतान करती आ रही है। हालांकि रेलवे यूनियनें सरकार के इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा, जिस तरह भारी रिक्तियों के बावजूद 2018-19 के दौरान रेलकर्मियों ने दिन-रात मेहनत कर 22 हजार यात्री और फ्रेट ट्रेनों का कुशलतापूर्वक संचालन किया और ढाई करोड़ यात्रियों के साथ-साथ रिकॉर्ड माल की ढुलाई की उसके बाद उन्हें अतिरिक्त बोनस मिलना चाहिए था।

यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा

कहा, भारत में चांद से नहीं आते आतंकवादी

ब्रुसेल्स (बेल्जियम), एएनआइ : कश्मीर को लेकर दुनिया भर में विलाप कर रहे पाकिस्तान को यूरोप के 28 देशों के संगठन यूरोपीय संघ (ईयू) ने फटकार लगाई है। यूरोपीय संघ की संसद के कई सदस्यों ने कश्मीर पर भारत के पक्ष का समर्थन करते हुए कहा, भारत, खासकर जम्मू- कश्मीर में आतंकी चांद से नहीं टपकते, बल्कि पड़ोस से ही आते हैं।

यूरोपीय संसद में मंगलवार को 'कश्मीर में हालात' विषय पर चर्चा के दौरान ज्यादातर सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को भारत का आंतरिक मामला बताया। यूरोपीयन कंजर्वेटिव एंड रिफॉर्मिस्ट ग्रुप के ज्योफ्रे वैन ऑर्डेन ने कहा, पाकिस्तान ने शुरू से ही नियंत्रण रेखा के पार 'दमन और आतंकवाद' का समर्थन करने के लिए अपनी सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है। 'कश्मीर गत 70 वर्षों से सीमा पार के दमन और आतंकवाद का दंश झेल रहा है। आखिरकार, इस हालत को बदलने का मौका आया है। कानूनी रूप से तो पूरा क्षेत्र भारत का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन पाक ने उसके कुछ भाग पर अवैध कब्जा जमा रखा है और वहीं से सीमा पार में दमन और आतंकवाद को समर्थन दे रहा है, जिसकी कीमत हजारों लोगों को जान देकर चुकानी पड़ी है।'

सदस्यों ने कश्मीर को भारत-पाक का द्विपक्षीय मामला बताते हुए कहा, इस पर दोनों देशों को सीधी बातचीत करनी चाहिए।

- पाक को आतंकियों को सुरक्षित पनाह देने और उन्हें सीमा पार भेजने वाला देश बताया
- पूरा कश्मीर भारत का होना चाहिए, गुलाम कश्मीर पर पाक का कब्जा अवैध

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र : यूरोपीय संसद में इटली के सदस्य फुल्वियो मार्टुसिएलो ने कहा, 'भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमें भारत खासकर, जम्मू-कश्मीर में होने वाले आतंकी हमलों को व्यापक नजरिए से देखने की जरूरत है। ये आतंकी चांद से नहीं आते हैं, वे पड़ोसी देश से आ रहे हैं। हमें भारत का समर्थन करना चाहिए।' पाक ने परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकी दी है, जो चिंता का विषय है। पाक ऐसा स्थान है जहां बैठकर आतंकी यूरोप में हमले की योजना बनाते हैं। 'स्लोवाकिया के सदस्य मिलान यूहरिक ने कहा, जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन भारत का आंतरिक मामला है। 'भारत की संसद ने कभी भी यूरोप के किसी देश की आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप या निंदा की हो। हमें भी ऐसा करना चाहिए'।

दिल्ली में आज थम सकते हैं व्यावसायिक वाहनों के पहिये

नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को व्यावसायिक वाहनों के पहिये थम सकते हैं। संशोधित मोटर वाहन कानून-2019 से कई गुना बढ़ा जुर्माना, वाहनों की बढ़ी बीमा राशि व आरएफआइडी टैग की अनिवार्यता समेत अन्य मुद्दों को लेकर ट्रक, टेंपो, बस, ऑटो, कैब, टैक्सी, स्कूल बस, स्कूल कैब व अन्य व्यावसायिक वाहनों के 42 संगठनों ने हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है। इससे नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस पहुंचने व बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कतें आ सकती हैं। एंबुलेंस और आवश्यक सामानों की ढुलाई करने वाले वाहन इस हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। हड़ताल को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर के कई निजी स्कूल गुरुवार को स्कूल बंद रखेंगे। व्यावसायिक वाहनों के कुछ संगठन हड़ताल से दूर रहेंगे। (पेज-2 देखें)

अनूठी पहल

अपनी तरह की पहली परियोजना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी, सीमा क्षेत्रों के निवासियों को राष्ट्रीय सीमाओं के प्रति जागरूक बनाने में मिलेगी मदद

नए सिरे से लिखा जाएगा सीमाओं का इतिहास

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत की सीमाओं का इतिहास अब नए सिरे से लिखा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को अपनी तरह की इस पहली परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत देश की सीमाओं के इतिहास को कलमबद्ध किया जाना है। सरकार की इस परियोजना में सीमाओं की पहचान करना, सीमांकन, बदलाव, सुरक्षा बलों और सीमा पर रहने वाले लोगों की भूमिका, उनकी संस्कृति और उनकी जिदंगी के सामाजिक और आर्थिक आयामों को शामिल करने समेत विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया जाएगा। इस परियोजना को दो साल के भीतर पूरा किया जाएगा।

बुधवार को यहां रक्षा मंत्री ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अधिकारियों, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, अभिलेखागार महानिदेशालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस बारे में बैठक की है। बैठक में सीमाओं का इतिहास लिखने के काम में सीमाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समाहित किया जाएगा।

राजनाथ सिंह फाइल फोटो

देश की सीमाओं को समझने में मिलेगी मदद : सरकार के इस फैसले के बारे में राजनाथ सिंह ने कहा कि नए सिरे से सीमाओं का इतिहास लिखने से लोगों तथा विशेष रूप से अधिकारियों को देश की सीमाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री ने इस परियोजना के संबंध में मिले विभिन्न सुझावों का स्वागत किया और अधिकारियों को इसे शीघ्रता से पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री, व्यापक संदर्भ, कार्यप्रणाली और कार्य योजना पर विशेषज्ञों से परामर्श करने का निर्देश दिया है।

हजारों किलोमीटर लंबी सीमा कई देशों से लगती है

भारत की हजारों किलोमीटर लंबी सीमा है जो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों से लगी है। समुद्री क्षेत्र में भारत की सीमा श्रीलंका, इंडोनेशिया और मालदीव से सटी हुई है। घुसपैठ और संघर्ष विराम उल्लंघन के कारण पाकिस्तान से लगती सीमा नाजुक मानी जाती है। जहां नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र में स्थित है वहीं चीन के साथ लगती सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा है। इतिहास के कई दौर में यह सीमाएं नए सिरे से खींची जाती रही है। इस परियोजना के लिए रक्षा मंत्रालय ही बजट का आंवटन करेगा और मंत्रालय ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक स्वायत्त संस्था एनएमएमएल को इस परियोजना की नोडल एजेंसी के तौर पर चुना है।

पाक के ऊपर से नहीं उड़ेगा मोदी का विमान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के फैसले से तिलमिलाया पाकिस्तान कूटनीति के बेहद आधारभूत सिद्धांतों को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। पाक ने भारत सरकार के उस अनुरोध को ठुकरा दिया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान के लिए उसके हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति मांगी गई थी। मोदी 21 सितंबर, 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि भारत ने मोदी के विमान के लिए 21 सितंबर को जाने और 28 सितंबर को वापसी की अनुमति मांगी थी। पाक ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। इस बारे में इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को भी सूचना दे दी गई है।

इसके पहले पाकिस्तान ने सात सितंबर को आइसलैंड जाने के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विमान को भी अपने हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी थी। पहले राष्ट्रपति और अब प्रधानमंत्री के विशेष विमान को इजाजत नहीं मिलने के मुद्दे की

- पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत का अनुरोध ठुकराया
- अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में कर सकता है शिकायत भारत

नरेंद्र मोदी फाइल फोटो

भारत अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आइसीएओ) में पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत कर सकता है। आइसीएओ समझौते के मुताबिक सिर्फ युद्ध काल में ही किसी दूसरे देश के विमान को अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल से रोका जा सकता है। जो देश इस नियम का पालन नहीं करते, उनके खिलाफ जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है।

> दो हफ्ते में दूसरी बार वीवीआइपी विमान को उड़ान की अनुमति देने से पाकिस्तान सरकार के इन्कार के फैसले पर हमें अफसोस है। हालांकि किसी भी देश द्वारा नियमित रूप से यह अनुमति प्रदान की जाती है। पाकिस्तान को स्थापित अंतरराष्ट्रीय परिपाटी से हटने के अपने फैसले पर सोच विचार करना चाहिए, साथ ही एकतरफा कार्रवाई के कारणों को गलत तरीके से पेश करने की अपनी पुरानी आदत पर भी पुनर्विचार करना चाहिए।
>
> – रवीश कुमार, प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय

दरअसल, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भी कुछ भारतीय विमानों को पाक के हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी। इस पर विपक्ष ने इमरान सरकार पर निशाना साधा था। हो सकता है कि इसी के चलते अब मोदी विमान को उड़ान भरने की मंजूरी नहीं देने का फैसला किया हो। मोदी ने गत माह फ्रांस जाने के लिए पाक के वायुक्षेत्र का ही प्रयोग किया था।